कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम 24(2) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/6004/चयन/2017–18 दिनांक 12.07.2017 के द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित संलग्न सूची में विवरणांकित कार्मिकों को प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान के पद पर संबंधित विषय के पे–बैण्ड 2(9300–34800) ग्रेड वेतन 4800 में पदौन्नति प्रदान की जाकर इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर यथावत् पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदस्थापन विभिन्न न्यायलयों के दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001(33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एंव धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे।

क्र. सं.	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	जन्मतिथि	कार्यरत स्थान	जिला	पदस्थापन स्थान
01	3109	2006–07	श्रीमती शारदा चौधरी	06.12.1973	डीआरके राउमावि, लोसल, सीकर	सीकर	यथावत

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/डीपीसी रसायन विज्ञान/2017–18 दिनांकः–21/8/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिए अधिकृत होंगे।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/संस्थापन एबी।
10. गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

362# 002 ORDER_ AUG19 C-1(4) CBH